प्रयोग एवं शोध प्रबंध पेपरों के लिए दिशा-निर्देश

प्रयोग और शोध प्रबंध पेपरों के विभागों में किये जा रहे मूल्यांकन में एकरूपता लाने के लिए सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारियों से निवेदन है कि वे निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें :

1. प्रयोग और शोध प्रबंध पेपरों को बाह्य विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकित किया जाना अनिवार्य है. प्रयोग और शोध प्रबंध की मौखिक परीक्षा के आयोजन करने के लिए अगर कुछ अपरिहार्य कारणों से कोई बाह्य विशेषज्ञ मूल्यांकन किये जाने वाली निर्धारित तिथि को रिपोर्ट करने विफल होते हैं, तो प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रभारी विभाग के अन्दर से ही दो विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करें, जिनमें से एक विभागाध्यक्ष/प्रभारी होंगे.
2. अध्ययन बोर्ड, विद्यापीठ बोर्ड और शैक्षणिक परिषद् की विधिवत अनुमोदन के बाद विभागाध्यक्ष/प्रभारी द्वारा प्रयोग और शोध प्रबंध पेपरों के लिए परीक्षा नियंत्रक को विषय विशेषज्ञों का एक पैनल प्रस्तुत किया जाए.
3. संस्थान द्वारा वहन किये जाने वाले यात्रा और आतिथ्य के भारी व्यय के कारण सामान्यत: प्रयोग/शोध प्रबंध पेपर के लिए प्रत्येक विभाग एक विशेषज्ञ को ही आमंत्रित करे, परन्तु किसी विशेष विषय के लिए जहाँ कहीं यह अपरिहार्य होता है, वहां प्रत्येक व्यापक विशेषज्ञता के क्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा सकता है.
4. विशेषज्ञों के पैनल को योग्यता के आधार पर पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के साथ प्रत्येक तीन वर्षों में बदला जा सकता है.
5. अगर शोध प्रबंध चतुर्थ सेमेस्टर में दिया जाना है, तो द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभ में ही छात्रों को अनुबंध आधारित प्रोफेसर सहित संकाय सदस्यों के लिए आबंटित किया जाना चाहिए ताकि वे आगामी ग्रीष्म एवं शीतकालीन छुट्टियों के दौरान अपने शोध कार्य को आगे बढ़ा सकें और 30 अप्रैल को अपना शोध प्रबंध जमा कर सकें, ताकि उन्हें इस एक पेपर के लिए अंतिम समय में इधर-उधर भागना न पड़े और अन्य पेपरों को नजरअंदाज न करना पड़े. विभागों में अंतिम सेमेस्टर में कोई अन्य पेपर नहीं रहता है. शोध प्रबंध जमा करने की अंतिम तिथि 30 मई होगी ताकि उसे सही समय पर मूल्यांकित किया जा सके और बहार जाने वाले छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा नियंत्रक को जुलाई 10 तक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम की घोषणा करने में समर्थ बना सके.
6. प्रयोग और शोध-प्रबंध पेपरों के लिए प्रत्येक छात्र को मॉक अनुभव और मौखिक परीक्षा के माध्यम से गुजरने के लिए कहा जायेगा. सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी अंतिम सेमेस्टर की सत्रांत परीक्षा से पहले इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे. शोध प्रबंध के लिए 75 अंक और मौखिक के लिए 25 अंक आबंटित किये जायेंगे.
7. विभागाध्यक्ष/प्रभारी अपने छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रयोग और शोध प्रबंध के मूल्यांकन की व्यवस्था करेंगे.